रजिस्टी सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 237]
 नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 2013/भाद्र 20, 1935

 No. 237]
 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2013/BHADRA 20, 1935

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2013

सं.एल.7/105(121)/2007-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : —

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 है;

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

 मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन : (1) मूल विनियम के (1) विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

3934 GI/2013 (1)

[PART III-SEC. 4]

1

"(छ-क) "अंतःदिवस संव्यवहार/आकस्मिक संव्यवहार" से ऐसे संव्यवहार अभिप्रेत है जो आगामी दिवस संव्यवहार कालावधि की समाप्ति के पश्चात् होते दिवस (टी) पर किए जाते हैं और विद्युत का परिदान उसी दिन (टी) या अगले दिन (टी+1) को होता है और जो प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुसूचित किए जाते हैं।"

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड 1 के उपखंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-"(ज) "अंतःराज्यिक संस्था" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी मीटरिंग, यथास्थिति, राज्य पारेषण कंपनी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाती है और लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र या किसी अन्य प्राधिकृत राज्य अभिकरण द्वारा किया जाता है।"

(3) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड 1 के उपखंड (क्ष) में आने वाले "एक राज्य पारेषण कंपनी" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(4) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (2) की पंक्ति 2 और पंक्ति 3 में, "ग्रिड कोड" शब्दों के स्थान पर, "आयोग द्वारा बनाए गए किसी अन्य विनियम" शब्द रखे जाएंगे।

मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन :

(1) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(2) जब कोई राज्य कंपनी या अंतःराज्यिक संस्था पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के माध्यम से व्यापार में सहभागिता का प्रस्ताव करती है तो वह ऐसे प्ररूप, जो विस्तृत प्रक्रिया में विहित किया जाए, में संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र से "अनापत्ति" या "पूर्व स्थायी अनुमति" अभिप्राप्त करेगा जिसमें उस कुल मेगावाट का उल्लेख किया गया हो जिसके लिए राज्य कंपनी या अंतःराज्यिक संस्था पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में क्रय या विक्रय बोली (बोलियों) को एक साथ प्रस्तुत कर सके । राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई "अनापत्ति" या "पूर्व स्थायी अनुमति" किसी एक्सचेंज विशेष, के लिए विनिर्दिष्ट नहीं होगी।'

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2 क) राज्य कंपनी या अंतःराज्यिक संस्था द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से प्राप्त अनापत्ति या पूर्व स्थायी अनुमति का उपयोग और/या किसी भी पावर एक्सचेंज(एक्सचेंजों) पर आगामी दिवस के लिए सामूहिक संव्यवहार के लिए ओटीसी बाजार या पावर एक्सचेंज बाजार में द्विपक्षीय अंतःद्विवसीय संव्यवहार/आकस्मिक संव्यवहार के लिए किया जा सकता हैः

परंतु यह कि आगामी दिवस के लिए सामूहिक संव्यवहारों के लिए या द्विपक्षीय अंतःदिवस संव्यवहार/आकस्मिक संव्यवहार के लिए अनापत्ति या पूर्व स्थायी अनुमति के लिए एसएलडीसी को आवेदन करते समय, आवेदक यह घोषणा करेगा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत है कि सामूहिक संव्यवहारों [पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर आगामी दिवस संविदा] में और/या अंतः दिवस/आकस्मिक [भाग III-खण्ड 4]

संव्यवहारों (ओटीसी बाजार और/या पावर एक्सचेंज बाजार में) के लिए सभी बोली (बोलियों) के लिए 15 मिनट के प्रत्येक समय ब्लॉक में कुल मात्रा उस मात्रा से अधिक नहीं होगी जिसके लिए अनापत्ति या पूर्व स्थायी अनुमति प्रदान की गई हो:

परंतु यह और कि उस अनुमति का उपयोग स्थायी अनुमति में यथाविनिर्दिष्ट मात्रा एवं समय के अधीन रहते हुए, आगामी दिवस संव्यवहार के लिए भी किया जा सकेगाः

परंतु यह भी कि स्थायी अनुमति प्रदान करते समय, अनुमति की समय अवधि को या तो घंटों के समय ब्लॉक में या पीक अवधि या ऑफ पीक अवधि या राउंड दी क्लॉक (आरटीसी) के आधार पर परिभाषित किया जा सकेगाः

परंतु यह भी कि जहां एसएलडीसी द्वारा किसी संस्था द्वारा मात्रा तथा समय का उल्लंघन करने के बारे में रिपोर्ट किया जाता है वहां आयोग, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सात दिनों के लिए विद्युत बाजार में संव्यवहार से उस संस्था को विवर्जित कर सकेगा।"

(3) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (3) के उपखंड (क) में प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित जोड़े जाएंगे, अर्थात्:

"परंतु यह कि द्विपक्षीय संव्यवहारों (अंतःदिवस संव्यवहार/आकस्मिक सौदों को छोड़कर) के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए एसएलडीसी को आवेदन करते समय, विस्तृत प्रक्रिया में विहित प्ररूप में सम्यक रूप से नोटेरीकृत एक शपथ-पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि:

 (i) ऐसे प्रस्तावित संव्यवहार, जिसकी सहमति के लिए आवेदन किया गया है, के अंतर्गत विद्युत की बिक्री के लिए, संबंधित व्यक्तियों के साथ वैध संविदा है:

(ii) उपरोक्त (i) में यथाउल्लिखित, उसी विद्युत की बिक्री के लिए कोई अन्य संविदा नहीं है:

परंतु यह कि सामूहिक संव्यवहारों की दशा में अनापत्ति या पूर्व स्थायी अनुमति प्राप्त करने के लिए एसएलडीसी को आवेदन करते समय शपथपत्र में यह भी घोषणा शामिल की जाएगी कि उस विद्युत की बिक्री के लिए कोई अन्य संविदा नहीं की गई है जिसके लिए अनापत्ति या पूर्व स्थायी अनुमति के लिए आवेदन किया गया है।"

(4) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (3) के उपखंड ख(iii) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी, अर्थात्:

"(iii) द्विपक्षीय संव्यवहारों की बाबत इस विनियम के खंड (3) के उपखंड (क) के दूसरे परंतुक तथा सामूहिक संव्यवहारों के संबंध में अंतिम परंतुक के अनुसार वैध संविदा के अस्तित्व से संबंधित शपथ पत्र को प्रस्तुत करना ।"

(5) मूल विनियम (परंतुक को छोड़कर) के विनियम 8 के खंड (3) के उपखंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात :

"(ग) जहां आवश्यक अवसंरचना की विद्यमानता, राज्य नेटवर्क में अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धता तथा इस विनियम के खंड (3) के उपंखड (क) के परंतुकों के अधीन यथापेक्षित शपथ पत्र की प्रस्तुति सिद्ध हो जाती है, वहां राज्य भार प्रेषण केन्द्र आवेदन की प्राप्ति के तीन (3) कार्य दिवसों के भीतर, संसूचना की, किसी अन्य प्रायिक रूप से मान्य पद्धति के अतिरिक्त, ई-मेल या फैक्स द्वारा आवेदक को, यथास्थिति, अपनी सहमति या कोई अनापत्ति या पूर्व स्थायी अनुमति, संसूचित करेगा।"

(6) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (4) में, 'राज्य नेटवर्क में अधिशेष पारेषण क्षमता की अनुपलब्धता' शब्दों के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

"या इस विनियम के खंड (3) के उपखंड (क) के सुसंगत परंतुकों के अनुसार, शपथपत्र को प्रस्तुत न करना।" (7) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (4) के दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित पंरतुक तथा दूसरे परंतुक के पश्चात्, दो नए परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि जहां, यथास्थिति, सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी अनुमति राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा, प्रदत्त की गई समझी गई है, वहां यथास्थिति, राज्य कंपनी या अंतःराज्यिक संस्था या अल्पकालिक ग्राहक, जैसे आवेदक द्विपक्षीय संव्यवहारों की दशा में नोडल अभिकरण (संबंधित भार प्रेषण केन्द्र) तथा आगामी दिन के लिए या पावर एक्सचेंज के माध्यम से द्विपक्षीय अंतःदिवस संव्यवहार/आकस्मिक के लिए सामूहिक संव्यवहारों की दशा में कम से कम तीन दिन अग्रिम में विस्तृत प्रक्रिया में यथा उपबंधित प्ररूप में निम्नलिखित घोषणा करने वाला एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।"

(क) यह कि राज्यभार प्रेषण केन्द्र विनिर्दिष्ट समय के भीतर, यथास्थिति, आवेदन में पाई गई किसी कमी या त्रुटि या उसके इंकार करने के कारण या सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी अनुमति को बताने में असफल हो गया है;

 (ख) प्रवृत्त ग्रिड संहिता के उपबंधों के अनुसार समय ब्लॉकवार ऊर्जा मीटरिंग तथा लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना विद्यमान है;

(ग) निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करेगाः

- (i) यथास्थिति, 'सहमति', या 'अनापत्ति' या 'पूर्व स्थायी अनुमति', चाहने के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र को किए गए आवेदन की पूर्ण प्रति;
- (ii) राज्यभार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रेषित आवेदन में कोई कमी या त्रुटि तथा कमी को दूर करने या त्रुटियों को सुधारने के लिए की गई कार्रवाई;
- (iii) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दी गई अभिस्वीकृति, यदि कोई हो, की प्रति, या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को आवेदन भेजने का कोई अन्य साक्ष्य;
- (iv) इस विनियम के विनियम 8 के खंड (3 क) के परंतुकों के अनुसार आवश्यक शपथ पत्र:

[PART III-SEC. 4]

परंतु यह भी कि पावर एक्सचेंज, यथास्थिति, राज्य कंपनी या अंतःराज्यिक संस्था या अल्पकालिक ग्राहक से प्राप्त किए गए दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र की प्रति परिदान करने से कम से कम दो दिन पूर्व नोडल अभिकरण (राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र) को भेजेगाः

परंतु यह भी कि द्विपक्षीय संव्यवहार के मामले में संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा आगामी दिवस के सामूहिक संव्यवहार या पावर एक्सचेंज के माध्यम से द्विपक्षीय संव्यवहार/आकस्मिक संव्यवहार की स्थिति में, संबंधित पावर एक्सचेंज, संबंधित राज्यभार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) को शपथ पत्र की प्रति सभी दस्तावेजों सहित, प्राप्ति के दिन ही अग्रेषित करेगा।

- 4. मूल विनियम के विनियम 14 का संशोधन :
- मूल विनियम के विनियम 14 के खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) इस विनियम के खंड 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उत्पादन केन्द्र की संस्था के बाध्यकारी कारणों से बंद हो जाने की दशा में, अल्पकालिक द्विपक्षीय संव्यवहारों के अंतर्गत विद्युत का अनुसूचीकरण समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के विनियम 6.5 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।"

(2) मूल विनियम के विनियम 14 के खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगाः

"(3) अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अनुसूची का अधोगामी पुनरीक्षण (शून्य अनुसूची के पुनरीक्षण सहित) चाहने वाला कोई भी व्यक्ति उतने दिनों के, इन विनियमों के विनियम 17 के अंतर्गत, विनिर्दिष्ट प्रचालन प्रभार का संदाय करेगा जिसके लिए ऊर्जा को अनुसचित किया गया है और रद्द करने की स्थिति में, दो अतिरिक्त दिनों या रद्द करने के दिनों की अवधि, जो भी कम हो, का प्रचालन प्रभार संदेय होगा।"

5. मूल विनियम के विनियम 16 में संशोधन : मूल विनियम के विनियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"16. पारेषण प्रभार

(1) द्विपक्षीय एवं सामूहिक संव्यवहारों में, अंतःक्षेपण के प्रत्येक स्थान एवं अनुमति के प्रत्येक स्थान के लिए पृथक पारेषण के लिए प्रादेशिक परिधि में अनुमोदित ऊर्जा के लिए पारेषण प्रभार, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों एवं हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार संदाय होंगे।

3934 95713-2

(2) अंतःराज्यिक संस्थाओं इस विनियम के खंड (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अतिरिक्त, अपने-अपने राज्य आयोग द्वारा यथानियत राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों का संदाय करेंगीः

परंतु यह कि जहां राज्य आयोग ने ₹/किलोवाट घंटे में राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों को अवधारित नहीं किया है वहां अपने-अपने राज्य नेटवर्क के प्रयोग के लिए प्रभार अनुमोदित ऊर्जा के लिए ₹ 80/मेगावाट घंटे की दर पर संदाय होंगेः

परंतु यह कि राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए राज्य आयोग द्वारा पारेषण प्रभारों के निर्धारित न होने की स्थिति में निर्बाध पहुंच के लिए इंकार करने के लिए आधार नहीं होगा।

परंतु यह कि राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए संदेय पारेषण प्रभार राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को प्रेषित किए जाएंगे। ये प्रभार संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित किए जाएंगेः

परंतु यह और कि पारेषण प्रभारों को भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा।

- मूल विनियम के विनियम 20 का संशोधन :
- (1) मूल विनियम के विनियम 20 के खंड (3) में आने वाले 'राज्य कंपनी' शब्दों को 'राज्य अभिकरण' शब्दों द्वारा बदला जाएगा।
- (2) मूल विनियम के विनियम 20 के खंड (5) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थातः-

"परंतु यह कि अतिरिक्त अननुसूचित अंतर विनिमय प्रभार (विचलन प्रभार) के सभी संदाय तथा अननुसूचित अंतर विनिमय (विचलन प्रभार) के सभी अन्य पहलुओं के लिए ब्याज तथा विवक्षाएं समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित अंतर विनिमय प्रभार और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के उपबंधों या उनकी किन्हीं पश्चात्वर्ती पुर्नअधिनियम के अनुसार, विनियमित किए जाएंगे।"

- 7. मूल विनियम के विनियम 21 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 21 के खंड (1) के परंतुक में आने वाले 'राज्य कंपनी' शब्दों को 'राज्य अभिकरण' शब्दों द्वारा बदला जाएगा।
- मूल विनियम के विनियम 22 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 22 के खंड (1) के स्थान पर, निम्नानुसार खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) विशेष ऊर्जा मीटरों को क्षेत्रीय संस्थाओं की लागत पर और उनके लिए केन्द्रीय पारेषण कंपनी द्वारा तथा अंतःराज्यिक संस्थाओं की लागत पर और उनके लिए, यथास्थिति, राज्य पारेषण उपक्रमों या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाया जाएगा।"

9. मूल विनियम के विनियम 23 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 23 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"23. पारेषण हानियां

- (1) विद्युत विक्रेता और क्रेता पारेषण प्रणाली की उन ऊर्जा हानियों का वहन करेंगे जो समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 के अनुसार अवधारित किए जाएं तथा जो उक्त विनियमों के अधीन जारी विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार लागू किए जाएंगे।
- (2) ऊर्जा हानियों की संगणना विद्युत के प्रदाय तथा अनुमति के स्थान पर अनुसूचियों के बीच अंतर प्रदान करने के लिए की जाएगी।
- (3) लागू पारेषण हानियां अग्रिम में घोषित की जाएंगी और भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित नहीं की जाएंगी।"
- 10. मूल विनियम के विनियम 25 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "25. पारेषण प्रभारों का संग्रहण तथा संवितरण :
 - (1) अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अनुज्ञात किए गए व्यक्तियों द्वारा संदेय पारेषण प्रभार तथा प्रचालन प्रभार निर्बाध पहुंच को अनुमोदित करते समय नोडल अभिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संदेय पारेषण प्रभार और राज्य नेटवर्क के लिए पारेषण प्रभारों को पृथक् रूप से उपदर्शित किया जाएगा। अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली एवं अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रभारों तथा आरएलडीसी और एसएलडीसी दोनों के प्रचालन प्रभारों को द्विपक्षीय संव्यवहारों के मामले में नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत किया जाएगा। सामूहिक संव्यवहारों के मामले में नोडल अभिकरण अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रभारों और आरएलडीसी/एनएलडीसी के प्रचालन प्रभारों का संग्रहण करेगा। सामूहिक संव्यवहारों के मामले में राज्य नेटवर्क के लिए पारेषण प्रभार और एसएलडीसी के लिए प्रचालन प्रभारों को संबंधित एसएलडीसी के साथ पावर एक्सचेंज एक्सचेंजों द्वारा प्रत्यक्षतः भुगतान किया जाएगा।
 - (2) अंतःक्षेपण के प्रत्येक स्थान या अनुमति के प्रत्येक स्थान के लिए द्विपक्षीय या सामूहिक संव्यवहार के लिए, राज्य नेटवर्क से भिन्न, पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत पारेषण प्रभारों को संवितरण के लिए केन्द्रीय पारेषण कंपनी (सीटीयू) को दिया जाएगा। सीटीयू समक्रमित (सिंक्रोनाईज) संबद्ध ग्रिड के लिए, जहां, यथास्थिति, अंतःक्षेपण स्थान या प्राप्त करने का

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

स्थान अवस्थित है, उन दीर्घकालिक ग्राहकों को, समय-समय पर, यथासंशोधित, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 के अनुसार, लक्षित क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक पहुंच के लिए समायोजन करने के बाद, उनके द्वारा संदेय मासिक पारेषण प्रभारों के समानपात में, इन पारेषण प्रभारों को संवितरित करेगा।

- (3) अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अनुज्ञात किए गए व्यक्तियों द्वारा संदेय प्रचालन प्रभारों को, सामूहिक संव्यवहार के मामले में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए प्रचालन प्रभारों को छोड़कर, नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत और संवितरित किया जाएगा।
- (4) यदि राज्य कंपनी अल्पकालिक ग्राहक है तो नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत प्रचालन प्रभार और पारेषण प्रभारों में राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए प्रचालन प्रभार सम्मिलित नहीं होंगे।
- (5) राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए, पारेषण प्रभारों को संबंधित राज्य पारेषण कंपनी को संवितरित किया जाएगा।
- (6) निर्बाध पहुंच चाहने वाले आवेदक द्वारा संवितरण कंपनिओं को संदेय चक्रण (व्हीलिंग) तथा अन्य प्रभार संबंधित राज्य आयोग के निर्बाध पहुंच विनियम के अनुसार प्रदत्त किए जाएंगे।
- 11. मूल विनियम के विनियम 25क का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 25 (क) के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:

"अल्पकालिक पहुंच नहीं प्रदान की जाएगी : —

8

25क. जब आयोग द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, यथास्थिति, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र ऐसी संस्थायों या ऐसी संस्थायों के सहयुक्तों को द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए (जिसमें पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारों सम्मिलित है) अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदत्त नहीं करेंगे जो लगातार तथा जानबूझकर अननुसूचित विनियम (विचलन) प्रभार, पारेषण प्रभार, रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार, संकुचन प्रभार, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के लिए फीस तथा प्रभार, जिसमें एकीकृत भार प्रेषण या संचार स्कीम के लिए प्रभार तथा अल्पकालिक अंतरराज्यिक संव्यवहार के लिए अंतःराज्यिक संस्था द्वारा एसएलडीसी के लिए अननुसूचित अंतर विनियम (विचलन) प्रभार भी सम्मिलित हैं, के संदाय में चुक करते हैं।"

12. मूल विनियम के विनियम 27 का संशोधनः मूल विनियम के विनियम 27 के खंड (च) में आने वाले "राज्य कंपनी" शब्दों के स्थान पर "राज्य पारेषण कंपनी" शब्द रखे जाएंगे।

> अ. कु. सक्सेना, प्रमुख (इंजीनियरिंग) [विज्ञापन III/4/असाधारण/150/13]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4, क्रम सं.10, तारीख 7.2.2008 में प्रकाशित किए गए थे और उनको भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खंड 4, क्रम सं.10, तारीख 29.5.2009 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच)(संशोधन) विनियम, 2009 के माध्यम से संशोधित किया गया और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खंड 4, क्रम सं.10, तारीख 10.6.2009 द्वारा उनका शुद्धिपत्र जारी किया गया।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2013

No.L-7/105(121)/2007-CERC.—In exercise of the powers conferred under section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"):

1. Short title and commencement: (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Second Amendment) Regulations, 2013.

(2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation 2 of the Principal Regulations:

(1) A new sub-clause shall be inserted after sub-clause (g) of clause (1) of Regulation 2 of Principal Regulations as under:-

"(g-a) "Intra-day transaction/contingency transaction" means the transaction which occurs on day (T) after the closure of day ahead transaction window and the delivery of power is on the same day (T) or next day (T+1) and which are scheduled by Regional Load Despatch Centre or National Load Despatch Centre."

(2) Sub-clause (h) of clause 1 of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under.-

"(h) "Intra-State entity" means a person whose metering is done by the State Transmission Utility or the Distribution Licensee, as the case may be and the accounting is done by State Load Despatch Centre or any other authorized State Agency."

(3) The words "a State Transmission Utility, or" appearing in sub-clause (q) of clause 1 of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be deleted.

(4) In lines 2 and 3 of clause (2) of Regulation 2 of the Principal Regulations, the words "the Grid Code" shall be substituted with the words "any other regulations made by the Commission". $3934 \leq 5713-3$

3. Amendment of Regulation 8 of the Principal Regulations:

(1) Clause (2) of Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted as under.--

"(2) When a State utility or an intra-State entity proposes to participate in trading through power exchange(s), it shall obtain "No Objection" or "Prior Standing Clearance" from the concerned State Load Despatch Centre in such form as may be prescribed in the Detailed Procedure, specifying the aggregate MW up to which the State utility or intra-State entity may submit buy or sell bid(s) in the power exchange(s) taken together. The "No Objection" or "Prior Standing Clearance" issued by the State Load Despatch Centre shall not be exchange specific."

(2) A new clause shall be inserted after clause (2) of Regulation 8 of the Principal Regulations as under.-

"(2A) No Objection or Prior Standing Clearance obtained by the State utility or intra-State entity from the State Load Despatch Centre can be used for collective transaction for day ahead on any Power Exchange(s) and/or for bilateral intra-day transaction/contingency transaction in OTC market or on the Power Exchange market:

Provided that while making application to SLDC for obtaining No Objection or Prior Standing Clearance for collective transactions for day ahead or for bilateral intra-day transaction/contingency transaction, the applicant shall declare that he agrees to ensure that aggregate quantum in each time block of 15 minutes for all the bid(s) in collective transactions (day ahead contracts on Power Exchange(s)) and/or for intra-day/contingency transactions (in OTC market and/or Power Exchange Market) shall not exceed the quantum for which No Objection or Prior Standing Clearance has been granted:

Provided further that the same clearance may be utilized for the day ahead bilateral transaction also, subject to limit of quantum and time as specified in the standing clearance:

Provided also that while granting Standing Clearance time period for the clearance may be defined either in time blocks of hours or on the basis of peak period or off-peak period or round the clock (RTC):

Provided also that where violations of the limit of quantum and time are reported by SLDC against any entity, the Commission may, after giving an opportunity of hearing, debar the said entity from transacting in power market for seven days."

(3) Two provisos shall be added after the first proviso to sub-clause (a) of clause (3) of Regulation 8 of the Principal Regulations as under, namely:

"Provided further that while making application to the SLDC for obtaining Concurrence for bilateral transactions (except for intra-day transaction/contingency transactions), an affidavit in the format prescribed in the Detailed Procedure, duly notarized, shall be submitted, along with the application, declaring that:

(i) There is a valid contract with the concerned persons for the sale of the power under the proposed transaction for which concurrence is applied and;

(iii) There is no other contract for sale of the same power as mentioned in (i) above.

Provided further that while making application to the SLDC for obtaining no objection or prior standing clearance in case of collective transactions, the affidavit shall also include the

[भाग]]]-खण्ड 4]

declaration that there is no other contract for sale of the same power for which no objection or prior standing clearance is applied for."

(4) The following condition shall be added after sub-clause b (iii) of clause (3) of Regulation 8 of the Principal Regulations, namely:

"(iii) submission of affidavit regarding existence of valid contract according to the second proviso to sub-clause (a) of clause (3) of this regulation with respect to bilateral transactions and according to the last proviso with respect to collective transactions."

(5) Sub-clause (c) of clause (3) of Regulation 8 of the Principal Regulations (excluding the proviso) shall be substituted as under, namely:

"(c) Where the existence of necessary infrastructure, availability of surplus transmission capacity in the State network and submission of affidavit as required under provisos to sub-clause (a) of clause (3) of this regulation have been established, the State Load Despatch Centre shall convey its concurrence or no objection or prior standing clearance, as the case may be, to the applicant by e-mail or fax, in addition to any other usually recognized mode of communication, within three (3) working days of receipt of the application."

(6) In clause (4) of Regulation 8 of the Principal Regulations, the following shall be added after the words "unavailability of surplus transmission capacity in the State network":

"or non-submission of the affidavit in accordance with relevant provisos to sub-clause (a) of clause (3) of this regulation".

(7) Second Proviso to clause (4) of Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted and two new provisos shall be added after the second proviso as under, namely:

"Provided further that where concurrence or 'no objection' or prior standing clearance, as the case may be, is deemed to have been granted by the State Load Despatch Centre, the applicant such as the State utility or the intra-State entity or short term customer as the case may be, shall submit to the nodal agency (concerned Regional Load Despatch Centre) in case of bilateral transactions and the power exchange in case of collective transactions for day ahead or for bilateral intra-day transaction/contingency transaction through power exchange, the following on affidavit in the format as provided in the detailed procedure at least three days in advance:

(a) Declaring that the State Load Despatch Centre has failed to convey any deficiency or defect in the application or its refusal or concurrence or 'no objection' or 'prior standing clearance', as the case may be, within the specified time;

(b) Declaring that necessary infrastructure for time-block-wise energy metering and accounting in accordance with the provisions of the Grid Code in force, is in place;

(c) enclosing the following documents:-

- a copy of the complete application made to the State Load Despatch Centre for seeking 'concurrence' or 'no objection' or 'prior standing clearance', as the case may be;
- (ii) Deficiency or defect in the application, if any, communicated by the State Load Despatch Centre and the action taken to remove or rectify the defect or deficiency;

- (iii) a copy of the acknowledgement, if any, given by the State Load Despatch Centre, or any other evidence in support of delivery of the application to the State Load Despatch Centre;
- (iv) Necessary affidavit in accordance with provisos to the clause (3 a) of Regulation 8 of this Regulations :

Provided also that the Power Exchange shall forward the copy of the affidavit alongwith the documents received from the State utility or the intra-State entity or short term customer as the case may be, to the nodal agency (National Load Despatch Centre) at least two days before the delivery:

Provided also that the concerned Regional Load Despatch Centre in case of bilateral transaction and concerned power exchange in case of collective transaction for day ahead or for bilateral intra-day transaction/contingency transaction through power exchange shall forward the copy of the affidavit alongwith the documents to the concerned SLDC on the same day it is received."

4. Amendment of Regulation 14 of Principal Regulations:

(1) A new clause shall be inserted after clause (1) of Regulation 14 of the Principal Regulations as under, namely:

"(1A) Notwithstanding anything contained in clause (1) of this regulation, in case of forced outage of a unit of the generating station, the scheduling of power under Short Term bilateral transactions shall be regulated in accordance with Regulation 6.5 of the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 as amended from time to time."

(2) Clause (3) of Regulation 14 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(3) Any person seeking downward revision of short term open access schedule (including revision to zero schedule) shall pay the operating charges specified under Regulation 17 of these regulations corresponding to the number of days for which power has been scheduled and in case of cancellation, operating charges shall be payable in addition for two (2) days or the period of cancellation in days whichever is less."

5. Amendment in Regulation 16 of the Principal Regulations: Regulation 16 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely.-

"16. Transmission Charges

(1) In case of bilateral and collective transactions, transmission charges for the energy approved at the regional periphery for transmission separately for each point of injection and for each point of drawal, shall be payable in accordance with the provisions of Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 as amended from time to time,

(2) The intra-State entities shall pay the transmission charges for use of the State network as fixed by the respective State Commission in addition to the charges specified under clause (1) of this regulation:

Provided that where the State Commission has not determined the transmission charges for use of the state network in ₹/MWh. The charges for use of respective State network shall be payable at the rate of ₹80/MWh for the energy approved:

Provided further that non-fixation of the transmission charges by the State Commission for use of the State network shall not be a ground for refusal of open access:

Provided also that the transmission charges payable for use of the State network shall be conveyed by State Load Despatch Centre to the concerned Regional Load Despatch Centre. These charges shall be displayed by the concerned State Load Despatch Centre and Regional Load Despatch Centre on their web sites:

Provided also that the transmission charges shall not be revised with retrospective effect."

6. Amendment of Regulation 20 of Principal Regulations:

(1) The words "State utility" occurring in clause (3) of Regulation 20 of the Principal Regulations shall be replaced by the words "State agency".

(2) The following proviso shall be added to clause (5) of Regulation 20 of the Principal Regulations, namely.—

"Provided that all payments on account of Unscheduled Interchange Charge (Deviation Charges) including Additional Unscheduled Interchange Charges (Deviation Charges) and interest and implications for all other aspects of Unscheduled Interchange (Deviation Charges), shall be regulated in accordance with the provisions of Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled Interchange charges and related matters) Regulations, 2009, as amended from time to time or any subsequent re-enactment thereof."

7. Amendment of Regulation 21 of the Principal Regulations: The words "State utility" occurring in proviso to clause (1) of Regulation 21 of the Principal Regulations shall be replaced by the words "State agency".

8. Amendment of Regulation 22 of the Principal Regulations: Clause (1) of Regulation 22 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely—

"(1) Special Energy Meters shall be installed by the Central Transmission Utility for and at the cost of the regional entities and by the State Transmission Utility or the distribution licensee as the case may be, for and at the cost of the intra-State entities."

9. Amendment of Regulation 23 of the Principal Regulations: Regulation 23 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely—

"23. Transmission Losses

- (1) The buyers and sellers of the electricity shall absorb energy losses in the transmission system as may be determined in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 as amended from time to time and applied in accordance with the Detailed Procedure issued under the said regulations.
- (2) The energy losses shall be accounted for by providing a differential between schedules at the points of supply and drawal of electricity.

(3) The applicable transmission losses shall be declared in advance and shall not be revised retrospectively."

10. Amendment of Regulation 25 of the Principal Regulations: Regulation 25 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely.—

3934 957 13-4

"25. Collection and disbursement of Transmission Charges:

(1) The Transmission charges and the operating charges payable by the persons allowed short-term open access shall be indicated by nodal agency while approving the Open Access. Transmission charges payable for Inter-State Transmission system and Transmission Charges for State network shall be indicated separately. Transmission Charges for the interstate transmission system and intra State transmission system and the Operating Charges of both for RLDC and SLDC shall be collected by the nodal agency in case of bilateral transactions. In case of collective transactions, nodal agency would collect the transmission charges for inter-State transmission system and operating charges of RLDC/NLDC. In the case of collective transactions, the transmission charges for State network and Operating charges for the SLDCs shall be directly settled by the Power Exchange(s) with respective SLDC.

(2) The transmission charges collected by the nodal agency for use of the transmission system other than State network, for a bilateral or collective transaction for each point of injection and each point of drawal shall be given to Central Transmission Utility (CTU) for disbursement. The CTU shall disburse these transmission charges to the long-term customers of the synchronously connected grid where the point of injection or point of drawal is situated, as the case may be, in proportion to the monthly transmission charges payable by them after making adjustments against Long-term Access to target region in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 as amended from time to time.

(3) The operating charges payable by the persons allowed short-term open access shall be collected and disbursed by the nodal agency, except for operating charges for State Load Despatch Centre in the case of collective transaction.

(4) In case a State utility is the short-term customer, the operating charges and the transmission charges collected by the nodal agency shall not include the charges for use of the State network and the operating charges for the State Load Despatch Centre.

(5) The transmission charges for use of State network shall be disbursed to the State Transmission Utility concerned.

(6) The wheeling and other charges payable to distribution utilities shall be paid by the applicant seeking Open Access in accordance with the Open Access Regulation of the concerned State Commission.

11. Amendment of Regulation 25A of the Principal Regulations: Regulation 25(A) of the Principal Regulations shall be substituted as under.—

"Short Term Access not to be granted:

25A. When so directed by the Commission, the National Load Despatch Centre or the Regional Load Despatch Centre, as the case may be, shall not grant short-term open access for bilateral transaction (including transactions through Power Exchange) to the entities and associates of such entities, who consistently and willfully default in payment of Unscheduled Interchange (Deviation) charges, transmission charges, reactive energy charges, congestion charges, fee and charges for National Load Despatch Centre or Regional Load Despatch Centre including the charges for the Unified Load Despatch and Communication Scheme and Unscheduled Interchange (Deviation) charges transmission charges to SLDC by an intra-State entity for a short term inter-State transaction. "

12. Amendment of Regulation 27 of Principal Regulations: The words "State utility" occurring in clause (f) of Regulation 27 of Principal Regulations shall be substituted by the words "State Transmission Utility".

A. K. SAXENA, Chief (Engg.)

[ADVT.-III/4/Exty./150/13]

Note:—The Central Electricity Regulatory Commission(Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008 were published in Part III, Section 4, Ser No.10 of the Gazette of India Extraordinary dated 7.2.2008 and amended vide Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Amendment) Regulations, 2009 published in Part III, Section 4, Ser No.10 of the Gazette of India Extraordinary dated 29.5.2009 and Corrigendum was issued on 10.6.2009 in Gazette of India Extraordinary Part III, Section 4, Ser No.10.

> Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.